HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 10593/2024

Pawan Rundla S/o Banwaral, Aged About 30 Years, R/o Ward No. 12, Tan Gadhtaknet, Police Station Ajitgarh, District Neemkathana, Rajasthan.

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 10594/2024

Dinesh Rolaniya S/o Kailash, Aged About 24 Years, R/o Ward No. 12, Tan Gadhtaknet, Police Station Ajitgarh, District Neemkathana, Rajasthan.

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Satyendra Singh Tanwar
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Kumar Gupta, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

30/06/2025

उक्त दोनों प्रार्थनापत्र एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना अजीतगढ़, जिला–नीम का थाना में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 106/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 143, 323, 341, 325, 365, 382 भारतीय दण्ड संहिता में अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने हेतु उक्त प्रार्थनापत्र पेश किये गये हैं।

बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थीगण को प्रकरण में मिथ्या फंसाया गया है। प्रकरण में पूर्व में इस न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया गया था, जिसकी पालना में प्रार्थीगण ने अन्वेषण में भाग ले लिया है तथा उनसे अन्वेषण पूर्ण भी किया जा चुका है। अब प्रार्थी–अभियुक्तगण से अभिरक्षात्मक पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थी–अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य लोक अभियोजक ने प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रकट किया कि प्रार्थी–अभियुक्तगण से अन्वेषण पूर्ण किया जा चुका है।

हमने तर्क–वितर्क पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार इस न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश की पालना में प्रार्थी–अभियुक्तगण ने अन्वेषण में भाग ले लिया है, जिनसे अन्वेषण किया जा चुका है। अभियुक्तगण से अन्वेषण पूर्ण हो चुका है तथा उनसे किसी प्रकार की अभिरक्षात्मक अन्वेषण की आवश्यकता होना प्रकट नहीं किया गया है। अतः मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

परिणामतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाते हैं तथा प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी/थानाधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे पुलिस थाना अजीतगढ़, जिला–नीम का थाना में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 106/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 143, 323, 341, 325, 365, 382 भारतीय दण्ड संहिता में प्रार्थीगण को गिरफ्तार किये जाने की सूरत में यदि प्रार्थीगण उनके संतोषप्रद एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये राशि की दो–दो जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दें तो उन्हें निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर आजाद कर दिया जाए :

1. कि प्रार्थीगण पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जानेवाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिये जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होंगे।
2. कि प्रार्थीगण इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने

के वास्त प्रत्यक्षः अथवा परोक्ष रूप से उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देंगे।

3. कि प्रार्थीगण बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत नहीं छोड़ेंगे।

(SHUBHA MEHTA),J

VISHAL SHARMA /39-40